संख्या–218/VI/2005–51(पर्य0)2003 टी0सी0

प्रेषक,

ए0के0घोष,,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभागः

देहरादून दिनांक // मार्च, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद हेतु स्वीकृत धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–268/प0340/2004–51(पर्य0)2003,दिनांक 26 अप्रैल,2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत पर्यटन विभाग हेतु 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद में रू0 2.00 करोड़(दो करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– यदि स्वीकृति की जा रही धनराशि से कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

5–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन मदों हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत किया गया हो उस हेतु पुनः धनराशि कदापि स्वीकृत न किया जाय । इस हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –3452–पर्यटन–सामान्य–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–उत्तरांचल राज्य पर्यटन विकास परिषद–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

8–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0– 773/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 11 मार्च,2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0के0घोष)
अपर सचिव

NIC-1356

संख्या– 218(1)/VI/2005–51(पर्य0)2003 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3 ।
5– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
6– अपर सचिव, नियोजन।
7– निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन ।
8– निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी उत्तरांचल शासन ।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

11/3/05

(ए0के0घोष)
अपर सचिव।